

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 76 / 2007

वादी

श्रीमति लीलादेवी पुत्री श्री केसाराम
पत्नी श्री नाथाराम जाति जाट
निवासी उदलियावास, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रीमति माडी पत्नी श्री केसाराम
जाति जाट निवासी हरियाड़ा
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
2. श्रीमति मोहनी पुत्री केसाराम
पत्नी श्री लिखमाराम, जाति जाट
निवासी हरियाड़ा, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. श्रीमति भुण्डीदेवी पुत्री केसाराम
पत्नी श्री गंगाराम, जाति जाट
निवासी रेपड़ावास, तहसील
सोजत जिला पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 08.03.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुयी। आवाज दिलायी गयी। वादीया स्वयं अथवा उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही। बार-बार आवाजे दिलायी गयी मगर वादीया व उसके अधिवक्ता उपस्थित नही आया। अतः वादीया का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा